न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-59/2007

रिछपाल पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी ढाणी राजूवाली तन गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1-श्योराम पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी ढाणी राजूवाली तन गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

2-गुलाबी देवी पत्नी मालीराम जाति जाट पुत्री खींवाराम जाट निवासी ढाणी बांकली तन पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

3- भूमिधारक जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19-4-2007 द्वारा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ।

---0---

उपस्थिति-

*-श्री गंगाधर भूरिया एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 5.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 1386 रकबा 3.21 हैक्टर तन ग्राम केरवाली की खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीसं0-1 व स्व0 नारायण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है। रिछपाल नारायण एवं श्योराम तीनों सगे भाई हैं। नारायण अविवाहित था जो बीमार रहता था। इसके हिस्से का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0-1 अपने अपने हिस्से के साथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

ही काश्त करते थे तथा नारायण को भी अपने साथ ही रखते थे । इस आराजी में तीनों भाईयों ने एक चाह का निर्माण भी करवाया जिसमें विद्युत सम्बन्ध भी तीनों भाईयों के नाम से ही है । तथा इस आराजी पर तीनों भाईयों ने ऋण भी लिया था । ऋण लेने के बाद में नारायण का देहान्त हो गया । जिसके देहान्त के बाद भी नारायण की आराजी की काश्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0-1 करते आ रहे हैं ।आराजीयात की कीमते बढ जाने से अप्रार्थी की नियत में बेईमानी आ गई और वह नारायण की 1/3 हिस्से की आराजी को अकेले अपने नाम करवाकर आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी अपने कुउद्देश्य में सफल हो जाता है तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के 1/2 हिस्से में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें, ना काश्त करने से रोके तथा ना ही नारायण की 1/3 हिस्से की आराजी को अपने अकेले के नाम से करवायें । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ़ कानून एवं पत्रावली है । उक्त विवादित आराजी ख0नं0 1222 1223, 1229/1 कुल किता-3 रकबा 2.78 हैक्टर में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के कब्जा काश्त एवं खातेदारी होने के बाद भी योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है नारायण के 1/3 हिस्से में अप्रीलार्थी का 1/6 हिस्सा होने से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अपीलान्ट के पक्ष में होने के बाद भी अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है ।जबकि एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार बेदखल नहीं किया जा सकता किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अदालत मातहत ने इकरारनामें के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानकर आदेश विधि के विपरित पारित किया है ।अदालत मातहत ने विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा मानकर निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की

अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2056 से 2059 में ख0नं0 1386 रकबा 3.21 हैक्टर की खातेदारी रिछपाल, नारायण, श्योराम पिता खींवा जाट के नाम दर्ज है जो बैंक के रहन दर्ज है ।खसरा गिरदावरी सं0-2056 से 2059, 2060 से 2063 में ख0नं0 1386 की खातेदारी रिछपाल, नारायण, श्योराम पि0 खींवा के नाम दर्ज है जो बैंक के रहन दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2055 से 2058, खसरा गिरदावरी सं0-2055 से 2058 में आराजी ख0नं0 1222, 1223, 1229/1 कुल किता-3 रकबा2.78 हैक्टर की खाते--दारी रिछपाल, नारायण, श्योराम पि0 खीवा हि0 1/2 हणमान, धना, सुरजा पि चूना हि0 बराबर 1/2 के नाम दर्ज है ।नकल जमाबन्दी सं0-2044 से 2047में भी उक्तानुसार अंकन है । इकरारनामा दिनांक 01-2-2004 में रिछपाल व शिवर राम पि0 खींवाराम के इकरारनामा हुआ जिसमें विवादित आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का ही माना है । राजस्व रेकार्ड के अनुसार भी विवादित आराजी के रेस्पोडेन्ट सह खातेदार काश्तकार दर्ज है जिनको कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं मानते हैं । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं पर विवेचन कर अपना निर्णय दिया है जो विधि संगत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय दिनांक 19-4-2007 को यथावत रखा रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.3.2018 को सुनाया गया ।

5/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर